फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नानी बाई बनाम विपक्षी : श्री मोती व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 44/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 को मूल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 का मूल प्रार्थना पत्र पर जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि होकर हमारे मौरूसा पेमा जी के वक्त से चली आ रही है। मूल पुरूष पेमा जी थे जिनके एक पुत्र मोती हुआ और मोती जी (विपक्षी संख्या 1) के एक पुत्र बाबरू एवं दो पुत्रियां नानी बाई (प्रार्थीया) एवं मांगीबाई (विपक्षी संख्या 4) हुये। बाबरू का निधन हो गया है जिससे उसकी पत्नी रामा बाई (विपक्षी संख्या 2) एवं एक पुत्री खुशी (विपक्षी संख्या 3) हुये। प्रार्थनाग्रस्त आराजी पेमा जी की विरासत से विपक्षी संख्या 1 मोती के नाम अंकित हुई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का जन्म से हक अधिकार चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित होने से व विपक्षी संख्या 1 मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने से विपक्षी श्री मोती (विपक्षी संख्या 1) को बहला फुसला कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अपने नाम रहन या बक्शिश आदि तरिको से हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित लिखित कथन व सजरा सत्य होने से स्वीकार है साथ ही बताया कि प्रार्थनाग्रस्त समस्त भूमि हमारे मौरूसा पेमा जी की है जिसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 4 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त परिशिष्ट (क) एवं (ख) में विपक्षी संख्या 1 एकमात्र खातेदार है व परिशिष्ट (ग) व (घ) में हिस्से अनुसार खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि बताया है जिसका विपक्षी संख्या 4 द्वारा भी स्वीकार किया है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नही ? इस बिन्दु को मूल वाद मे साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा निमडी पटवार हल्का धारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 [illegible] संख्या नया 370 की आराजी नम्बर 1313, 1314, 1315, 1316, 138, 65 किता 06 [illegible] है. भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 369 की आराजी न. 22 [illegible] है. भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 198 की आराजी न. 140[illegible] किता 1 रकबा [illegible]2300 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 200 की आराजी न. 21[illegible] 0.0400 है. भूमि, परिशिष्ट [illegible] की खाता संख्या नया 256 की आराजी न. 140[illegible] 0.0200 है. भूमि में विपक्षी [illegible] मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.07.03 14:23:59 IST
Reason: SelfAttested